

२४-1-19 पत्रावली पेश हुई। प्रकरण में वादी एवं
उन्के अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रतिवादी
शरणा २ कि तलवी आज दिव्यंकत्व
नहीं हुई है। प्रकरण में तीन बार
अलग अलग समय में आवाज लगवाई
गई। उसके बावजूद वादी अथवा वकील
अधिवक्ता अनुपस्थित रहे। अतः प्रकरण
आदम हाजरी आदम पेशी में स्थायी
रिखा जाता है।

पत्रावली केसल शुमार है।

Maryu

उपखण्ड अधिकारी
बड़गाँव, जिला-उदयपुर

